Seventeenth Loksabha

p>

Title: Motion regarding referring of Personal Data Protection Bill, 2019 to the Joint Committee of the Houses (Motion regarding reference was adopted).

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करें ।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for protection of the privacy of individuals relating to their personal data, specify the flow and usage of personal data, create a relationship of trust between persons and entities processing the personal data, protect the rights of individuals whose personal data are processed, to create a framework for organisational and technical measures in processing of data, laying down norms for social media intermediary, cross-border transfer, accountability of entities processing personal data, remedies for unauthorised and harmful processing, and to establish a Data Protection Authority of India for the said purposes and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 20 Members from this House, namely:-

1. Shrimati Meenakashi Lekhi

2. Shri P.P. Chaudhary

3. Shri S. S. Ahluwalia

4. Shri Tejasvi Surya

5. Shri Ajay Bhatt

6. Col.(Retd.) Rajyavardhan Singh Rathore

7. Shri Sanjay Jaiswal

8. Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

9. Shri Arvind Dharmapuri

10. Dr. Heena Gavit

11. Shri Uday Pratap Singh

12. Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'

13. Shri Gaurav Gogoi

14. Sushri S. Jothimani

15. Prof. Saugata Roy

16. Shrimati Kanimozhi

17. Shri P.V. Midhun Reddy

18. Dr. Shrikant Eknath Shinde

19. Shri Bhartruhari Mahtab

20. Shri Ritesh Pandey

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the last week of the Budget Session, 2020;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make;

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee; and

that the Speaker shall appoint one of the Members of the Committee to be its Chairperson."

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रमाण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और

हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य, अर्थात् –

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस.एस अहलुवालिया
4. श्री तेजस्वी सूर्या
5. श्री अजय भट्ट
6. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री संजय जायसवाल
8. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री अरविंद धर्मापुरी
10. डॉ. हिना गावीत
11. श्री उदय प्रताप सिंह
12. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
13. श्री गौरव गोगोई
14. सुश्री एस. जोतिमणि
15. प्रो. सौगत राय
16. श्रीमती कनिमोझी
17. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
18. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
19. श्री भर्तृहरि महताब
20. श्री रितेश पाण्डेय

तथा राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए, गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाएं;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे ।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं विषय पढ़ दूं, उसके बाद आपको मौका दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दे रहा हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चूंकि माननीय सदस्यों को विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर संशोधन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, इसलिए मैंने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा दी गई संशोधन की सूचना को स्वीकृत किया है ।

अब आप बोलिए ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, from my party, the name of Prof. Saugata Roy has been included. He is so

busy with other party jobs and party works. So, we cannot put his name over here. I would request that the name of Shrimati Mahua Moitra may be inducted in that place. It is the decision of our party.

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, आप आपस में इस विषय पर चर्चा कर लीजिए । फ्लोर लीडर से बात कर लीजिएगा ।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): वोटिंग हो जाएगी, तो फिर कैसे होगा? उसके लिए फिर दोबारा वोटिंग करनी पड़ेगी । यदि हटाना है, तो अभी हटाना पड़ेगा । … (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Party Leaders should have been consulted. They have put the names in the Committee on their own. …(*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, Prof. Saugata Roy is a very important leader of our party. He is required to be engaged in so many jobs. …(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, whenever any Parliamentary Committee is formed, there is a system of coordination between the Parliamentary Affairs Minister and the parties concerned. To the best of our information, all this has been done. Therefore, I will have to stand by that.

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, आप बताइए । इसके बारे में क्या कहना है? इनके प्रस्ताव को स्वीकृत करना है या नहीं करना, दो लाइन बताइए ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, यह जो मोशन आया है, इस मोशन पर जैसे अधीर रंजन जी भी बता रहे थे, किससे चर्चा की - सुरेश जी बैठे थे, कभी

चीफ व्हिप से चर्चा हुई है, कभी फ्लोर लीडर से हुई, लेकिन कंसल्टेशन हुआ है और 10 से ज्यादा मेंबर्स वाली पार्टियों को इसमें सम्मिलित किया गया है । … (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Whom has he consulted? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इनके प्रस्ताव को शामिल करना है या नहीं करना है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं चर्चा करके ही बता पाऊंगा । …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, एक काम करें । इस प्रस्ताव में मैं ही मूव करता हूं कि जो माननीय टीएमसी लीडर की ओर से प्रस्ताव आया है, वह इसमें रहेगा कि ये चर्चा करके उसको कर लेंगे, ताकि उनके नाम को अभी हम लोग वोट में इनक्लूड नहीं करते हैं । हो गई बात ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इसमें व्यवस्था यह होती है कि जो आप प्रस्ताव लाए हैं, इस प्रस्ताव को अगर परिवर्तन करना है तो कल लाएं, नहीं तो आज यही प्रस्ताव जाएगा ।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इस पर वोटिंग होने दें ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इस विषय में मेरा कहना है कि आप आपस में चर्चा कर लिया करें ।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, आज वोटिंग हो जाए ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : In Rule 74 it is stated, "It be referred to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council". But it has not been made clear whether the concurrence of the Council has been taken or not. हमारी मांग है कि इस पर पब्लिक ओपनियन इलिसिट करने के लिए इसे थोड़ा सर्कुलेट किया जाए । हमारी पार्टी

के दो लोक सभा मेंबरों को दिया है । आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, खुद आप जैसे मंत्री हैं, क्या हमारी पार्टी की तरफ से एक-दो मेंबर्स बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है? दो दिन पहले हम लोगों ने सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का लेजिस्लेशन पारित किया, यह नॉन मुस्लिम बिल पारित किया, यह भी एक नॉन मुस्लिम मोशन पारित होने जा रहा है । इसमें एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है । यह ठीक नहीं है ।

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये कैसी बातें कर रहे हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Mr. Speaker, Sir, thank you. Parliamentary Standing Committees are not formed on the basis of religion.

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी कि संसदीय समितियां धर्म के आधार पर नहीं बनाई जाती हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Mr. Speaker, Sir, thank you very much. …(*Interruptions*) I have given a notice moving of amendment to the Motion moved by the hon. Minister under Rule 75 (2) (b) of the Rules of Procedure and Conduct of their Business in Lok Sabha. My amendment is that this Bill be referred to the public for eliciting the public opinion thereon and to have a Report by 31st of March, 2020. That is the amendment which I would like to move. Unfortunately, there is a paucity of time. I fully agree with the hon. Speaker regarding the paucity of time. But at the same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister to Rule 74. As per the proviso in Rule 74, two days' notice is compulsory or mandatory unless and otherwise the Speaker permits. I know that the Speaker has already permitted it.

SHRI PRALHAD JOSHI: You yourself has quoted the Rule. The Speaker has already permitted it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : It has not been passed yet. It is only before the House.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिबेट होते रहनी चाहिए लेकिन एक शब्द नीचे लिखा हुआ है कि जिसे सभी लोग पढ़ते रहा करें । अध्यक्षीय व्यवस्था अंतिम व्यवस्था है नहीं तो इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : But the objections of the Opposition are very relevant. It is said, "such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made." So, we fully abide by the ruling of the hon. Speaker. Two days' notice has not been given. At least, before referring the Bill to the Joint Committee or to the Select Committee two days' notice has to be given. This is my submission. Once again, I would like to make this appeal because so many NGOs, so many voluntary organisations, social activists are very much concerned about the Data Protection Bill. They are very much interested in contributing to the Data Protection Bill.

So, my submission to the hon. Minister and the Government is kindly refer the matter to the Joint Committee for eliciting public opinion. Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, what happened to our proposal regarding the name of Shrimati Mahua Moitra that we had proposed? What is the decision ultimately taken?

माननीय अध्यक्ष: मैं सब की भावनाएं समझता हूं । मेरी सब की भावनाओं को देखते हुए कोशिश है कि हम सभी अधिकतम समय में संसदीय प्रक्रिया और

नियमों का पालन करने का प्रयास करें । अगर बहुत आवश्यक हो तभी इस पर अध्यक्षीय छूट देने का प्रयास होना चाहिए । यह हमेशा प्रयास होना चाहिए ।

माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, हमसे हमारी पार्टी के मैम्बर्स का नाम नहीं पूछा गया । …(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : हमसे भी नहीं पूछा गया । …(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: यह क्या हो रहा है? …(व्यवधान)

Sir, I want to say that Shri Suresh has given the name and everyday he comes to my chamber. It is a good thing. I am speaking to him and also to Shri Adhir Ranjan Chowdhury also. Sureshji has given the name. Now, if he wants to deny, let them change the name. We do not have any objection for that …(*Interruptions*) What is this? अगर उनके बीच में कोई प्राब्लम है तो वे सॉल्व करें, उसमें हमें मत लेकर आइए ।…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): When I went to his room, at that time, the hon. Minster was dictating the names of the Members of different political parties …(*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: He took the name from you … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I was a witness for that … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Rather, you dictated the names … (*Interruptions*)

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्लेरिफाई कर दूं क्योंकि प्रेमचन्द्रन जी का प्रस्ताव मूव हो रहा है । इसके कन्सलटेशन में 2000 ओपिनियन आए, देश में चार जगह कमेटी गई थी । हमारे विभाग ने अलग से कन्सटेशन किया । जो कमेटी बनेगी उसे कन्सलट करने का पूरा अधिकार होगा ।

मैं एक बात माननीय बंदोपाध्याय जी से कहूंगा कि प्रोफेसर राय बहुत ही सुलझे हुए डिस्टिंगुइश हैं । हम चाहते हैं कि सलैक्ट कमेटी को आपके व्यापक अनुभव का व्यापक लाभ मिले, इसलिए उन्हें ही रहने दें, यही मेरा आग्रह है । वोटिंग कराई जाए ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, the Minister mentioned my name and addressed me. Ravi Shankar Ji, if you ask me, I will consider that Prof. Sougata Ray is the best person in the Parliament. उसमें क्या बात है? यह मेरी पार्टी का डिसीजन है । You cannot change my Party decision from your side. What decision my Party is going to take, I will communicate it to the House.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

> "That the Personal Data Protection Bill, 2019 be circulated for eliciting public opinion of the people thereon by 31st March, 2020"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "That the Personal Data Protection Bill, 2019 be circulated for eliciting public opinion of the people thereon by 31st March, 2020"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रमाण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य, अर्थात् –

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस.एस अहलुवालिया
4. श्री तेजस्वी सूर्या
5. श्री अजय भट्ट
6. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री संजय जायसवाल
8. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री अरविंद धर्मापुरी
10. डॉ. हिना गावीत
11. श्री उदय प्रताप सिंह
12. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`

13. श्री गौरव गोगोई
14. सुश्री एस. जोतिमणि
15. प्रो. सौगत राय
16. श्रीमती कनिमोझी
17. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
18. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
19. श्री भर्तृहरि महताब
20. श्री रितेश पाण्डेय

तथा राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए, गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाएं;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।